No.7(66)-E.III/83
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th March, 1984.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973 - Fixation of pay of Government Servants who opt for the revised scale of pay from a date subsequent to 1-1-1973.

The Third Pay Commission had recommended a special pay fixation formula for fixation of pay in the revised scales as on 1-1-73. On a representation from the Staff Side (JCM), Government, vide this Ministry's O.M. No.67/II/1/73-IC dated the 17th May,1974, decided that the benefit of the special pay fixation formula may also be allowed to persons who elect to come over to the revised scales from a date subsequent to 1-1-73 but not later than 31-12-74 in respect of posts held by them on 1-1-73. This time limit was further extended to 31-12-75 vide this Ministry's O.M. No.60/17/IC/78 dated the 29th September, 1978 on the basis of representation made by the Staff Side (JCM) that opting for the revised scales upto 31-12-74 had not done full justice to the employees.

2. The Staff Side in the National Council (JCM) had made another demand that time limit for opting for the revised scale of pay from a date subsequent to 1-1-73 may be extended further beyond 31-12-75 to rectify the anomalous position that still existed in several cases. The matter has been considered. An agreement has reached in the Committee of the National Council (JCM) that the time limit for opting the revised scales of pay may be extended upto 31-12-79 and the employees may be allowed time upto 31-5-84 to exercise fresh option.

3. Accordingly, the President is pleased to decide that the pay of Central Government employees who opt to come over to the revised scales of pay from a date not later than 31-12-79 in respect of posts held by them on 1-1-73 may also be fixed under the provisions of Rule 7 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973. The employees who want their pay to be fixed in the revised scales from a date not later than 31-12-79 may be allowed time upto 31-5-1984 to indicate their option

.....2/-

in regard to the date from which they want their pay to be fixed in the revised scales. However, the pay of employees who exercise their option for the revised scales with effect from any date subsequent to 31-12-1979 shall be fixed in those scales under Rule 9 (of the rules) ibid.

4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. Hindi version will follow shortly.

R.C.Puri

(R.C.Puri)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of Government of India.

No. 7(66)-E.III/83 Dated the 13th March, 1984.

Copy forwarded to :-

1. C&AG of India, New Delhi with reference to their U.O.No.229-Audit/34-84 dated 12-3-1984.
2. UPSC New Delhi.
3. Election Commission, New Delhi.
4. Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.
5. Supreme Court of India, New Delhi.
6. Central Vigilance Commission, New Delhi.
7. Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, New Delhi.
8. Ministry of Defence (Finance Division) New Delhi.
9. Railway Board, New Delhi.
10. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat.
11. Office of the Military Secretary to the President.
12. Planning Commission, New Delhi.
13. Secretary, Staff Side, National Council, 13-C Feroze-shah Road, New Delhi.
14. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM.
15. Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers of all Ministries/Departments.
16. Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
17. All Offices/Branches in the Department of Expenditure.
18. Pay and Accounts Officers, Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt.
19. Department of Personnel and AR (Estt.P-I/P-II).

R.C.Puri

(R.C.Puri)
Deputy Secretary to the Government of India

संख्या-7(66)-संस्था0III/83
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973- 1.1.1973 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान का विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन का नियतन।

तीसरे वेतन आयोग ने 1.1.1973 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतन-मानों में वेतन के नियतन के लिए विशेष वेतन नियतन फार्मूले की सिफारिश की थी। कर्मचारी-पक्ष (संयुक्त परामर्श-दाता तन्त्र) के अभ्यावेदन पर सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 17 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 67/III/1/73-आई. सी. के अनुसार यह निर्णय किया कि विशेष वेतन नियतन फार्मूले का लाभ ऐसे व्यक्तियों को भी स्वीकृत कर दिया जाए जिन्होंने 1.1.1973 को धारित पदों के संबंध में 1.1.1973 के बाद की किसी तारीख से लेकिन 31.12.74 से पूर्व संशोधित वेतन-मानों में आने का विकल्प दिया है। कर्मचारी-पक्ष (संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र) के इस अभ्यावेदन के आधार पर कि संशोधित वेतनमानों के लिए 31.12.74 तक विकल्प देने से कर्मचारियों के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, यह समय-सीमा इस मंत्रालय के दिनांक 29 सितम्बर, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-60/17/आई. सी./78 द्वारा 31.12.1975 तक और आगे बढ़ा दी गयी थी।

2. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र) के कर्मचारी-पक्ष ने एक और मांग की कि 1.1.1973 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतन-मान के लिए विकल्प देने की समय-सीमा को 31.12.1975 से आगे बढ़ा दिया जाए ताकि कई मामलों में जो विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक किया जा सके। इस मामले पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र) की बैठक में यह समझौता हुआ है कि संशोधित वेतनमानों के लिए विकल्प देने की समय-सीमा को 31.12.1979 तक बढ़ाया जाए तथा कर्मचारियों को 31.5.1984 तक नया विकल्प देने का अवसर दिया जाए।

3. तदनुसार, राष्ट्रपति जी यह निर्णय करते हैं कि ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी, जो 1.1.73 को धारित पदों के संबंध में 31.12.79 से पूर्व की किसी तारीख से संशोधित वेतन-मानों में आने का विकल्प देते हैं, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के नियम 7वीं व्यवस्थाओं के अधीन नियत कर दिया जाए। ऐसे कर्मचारी जो 31.12.1979 से पहले की किसी

...2/.

तारीख से अपने वेतन का नियतन संशोधित वेतन मानों में किये जाने के इच्छुक हों, उन्हें इस आशय का विकल्प देने के लिए कि वे किस तारीख से अपने वेतन को संशोधित वेतन-मानों में नियत करवाना चाहते हैं, 31.5.1984 तक का समय दिया जाए। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो 31.12.1979 से बाद की किसी तारीख से अपने वेतन का नियतन किए जाने का विकल्प देते हैं, उनका वेतन ऐसे वेतनमानों में उक्त नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत नियत किया जाएगा ।

4. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के समय परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

§ आर०सी० पुरी §
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :--

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके दिनांक 12.3.1984 की अनो०टि०संख्या 229-ले०प०/34-84 के सन्दर्भ में ।

1. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।
5. भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति आयोग, नई दिल्ली।
7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
8. रक्षा मंत्रालय§वित्त प्रभाग§नई दिल्ली।
9. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय।
11. प्रधान मंत्री का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रपति के सैनिक सचिव, नई दिल्ली
12. योजना आयोग, नई दिल्ली
13. सचिव कर्मचारी-पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
14. संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र, कर्मचारी-पक्ष के सभी सदस्य
15. लेखा नियंत्रक/सभी मंत्रालयों/विभागों के वेतन और लेखा कार्यालय।
16. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
17. व्यय विभाग में सभी अनुभाग/सभी अधिकारी
18. वेतन तथा लेखा अधिकारी लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
19. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग §संस्था०पी०1/पी०2§

§ आर०सी० पुरी §
उप सचिव, भारत सरकार